पत्र संख्या–5 / न्याय–07 / 01 / 2014 (खण्ड–I)...../

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
~~~~~~~~~~~~

प्रेषक,

तदाशा मिश्र
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

निदेशक अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक / /2017

विषय– राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निष्पादन के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य के सभी अभियोजन पदाधिकारियों को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 320 (1) / 320 (2) / 321 में वर्णित प्रावधानों के अनुरुप स्वतंत्र मंतव्य गठित कर पुलिस द्वारा दर्ज निम्नलिखित श्रेणी के वर्ष 2006 तक के ऐसे लंबित वाद जिसमें सम्मन / वारंट निर्गत होने के बावजूद अभियुक्त उपस्थित नही हुए हों, की वापसी / सुलह / निष्पादन हेतु विभागीय ज्ञापांक 567 दिनांक 03.02.17 द्वारा दिनांक 11.02.17 को आहूत राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थापित कराने हेतु आदेश दिया गया था–

उपस्थापित किए जाने वाले वादों की श्रेणी

1. मोटर वेहिकल एक्ट के अन्तर्गत वाद।
2. पुलिस एक्ट के अंतर्गत वाद।
3. बिहार एक्साइज एक्ट की धारा–47 के अंतर्गत ऐसे वाद जिसमें 10 लीटर से ज्यादा शराब, 2 क्वींटल महुआफुली से ज्यादा एंव 20 किलोग्राम गुरवास से ज्यादा की जब्ति न हो।
4. स्टैण्डर्ड वेट्स एण्ड मेजर्स (इंफोर्समेंट) एक्ट के अतंर्गत वाद।
5. मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, फैक्टीज एक्ट जिसमें कि संचिका एवं अभिलेख का रख रखाव एवं संधारित नही किया गया हो, से संबंधित वाद।
6. बिहार–बंगाल प्रिवेंशन ऑफ गैंबलिग एक्ट के अतंर्गत वाद।
7. झारखण्ड प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एण्ड नन स्मार्कर्स हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट 2001 के अंतर्गत वाद।
8. कैटल ट्रेसपास एक्ट के अतंर्गत वाद।
9. प्रिवेशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल एक्ट के अतंर्गत वाद।
~~~~~~~~~~~~

10. भारतीय दण्ड विधान की धारा के अतंर्गत वैसे सभी मामले जो दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 320 (1)/320 (2) के अतंर्गत आते हों एवं जो न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विचारण किया जाता हो और भारतीय दण्ड विधान की धारा 160, 277, 278, 279, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 294, 309, 336, 337, 338, 426 एवं 510 के अतंर्गत वाद।

2. सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकार, राँची के पत्रांक 944 दिनांक 10.03.17, 1031 दिनांक 27.3.17 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय न्यायमूर्ति कार्यकारी अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकार, राँची द्वारा उक्त विभागीय निदेश को भविष्य में होने वाले सभी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लागु करने हेतु निदेश दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विभागीय ज्ञापांक 567 दिनांक 03.02.17 द्वारा निर्गत निदेश को भविष्य में होने वाले सभी राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रसंग में लागु समझा जाय एवं तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/न्याय–07/01/2014 (खण्ड–I)– 1814 /राँची, दिनांक 03/04/2017.

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), न्याय सदन, डोरण्डा, राँची/ महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव सह विधि परामर्शी, विधि विभाग,झारखण्ड, राँची /प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व विभाग/सचिव, खाद्य सार्वजनिक एवं वितरण विभाग/सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग/सचिव, उत्पाद विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.04.17

सरकार के विशेष सचिव